बंशीलाल वगैरह बनाम मांगीलाल वगैरह
वाद क्रमांक 20/2020

— : आदेश :—

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 बंशीलाल के हक बंट कब्जा काश्त मुं मौजा गुगरियाली के खेत खसरा नम्बर 88 रकबा 2.2339 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 221 रकवा 5.6899 हैक्टेयर में से रकबा 1.2888 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी संख्या 2 सुखदेव के हक बंट कब्जा काश्त मुं मौजा गुगरियाली के खेत खसरा नम्बर 221 रकबा 5.6899 हैक्टेयर में से रकबा 4.3121 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुससार तथा खसरा नम्बर 1104/323 रकबा 3.0756 हैक्टेयर में से रकवा 0.9612 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 रामकरण के हक बंट कब्जा काश्त मुं मौजा गुगरियाली के खेत खसरा नम्बर 31 रकबा 1.5783 हैक्टेयर पूरा व खसरा नम्बार 1104/223 रकवा 3.0756 हैक्टेयर में से रकबा 2.0358 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल के हक बंट कब्जा काश्त मुं मौजा गुगरियाली के खेत खसरा नम्बर 221 रकबा 5.6899 हैक्टेयर में से रकबा 0.0785 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार व खसरा नम्बर 1104/223 रकबा 3.0756 हैक्टेयर में से रकबा 0.0786 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
5. प्रतिवादी संख्या 3 व 4 क्रमशः बाउदेवी व कमा द्वारा अपने हक हिस्से का त्याग करने से मामला हक त्याग के द्वारा भूमि अन्तरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है।
6. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने पर)
7. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार ...क तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में ...मल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर ...खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner